न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर।

SC/ST Case No-41/2021

सरकार

बनाम

बुलंदू उपाध्याय

[ईटाढी थानाकाण्ड सं0–120/2021]

06.08.2021 आवेदक/अभियुक्त बुलंदू उपाध्याय जो दिनांक 03.08.2021 से ईटाढी थानाकाण्ड सं0–120/2021, अन्तर्गत धारा **147, 148, 149, 341, 323, 354(A), 379, 504, 506** भा0दं0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम तथा **3(1)(r)(s)(w1)/3(2)(va)** अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, की ओर से ई0मेल0 प्रस्तुत जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मण पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है तथा आवेदक की ओर से पलटा मुकदमा ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0–121/2021 इस मामले के सूचक एवं अन्य पर पंजीकृत हुआ है। आवेदक द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा आवेदक दिनांक 03.08.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन उपरोक्त का घोर विरोध किया।

सूचक हृदय नारायण राम पिता स्व0 भागीरथी राम, साकिन सुकरवलिया, थाना ईटाढ़ी, जिला बक्सर के लिखित आवेदन पर प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत की गई है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 29.03.2021 को संध्या 05:00 बजे सूचक के गॉव के काशी पाण्डेय, अमीत उपाध्याय, बुलन्दु उपाध्याय, लालू उपाध्याय, मन्टू उपाध्याय, मनोज चौबे, अनंत उपाध्याय, अरविन्द उपाध्याय आकर सूचक की बेटी–बहन को धर–पकड़ करने लगे तो सूचक ने इसका विरोध किया तो उक्त सभी लोग मारपीट करने लगे और बोले कि चमार–सियार तुमलोग ज्यादा काबिल बन रहा है। हल्ला पर इसी बीच हथियार, भाला व तलवार के साथ शशिधर उपाध्याय, उमाशंकर वीरू उपाध्याय, शेषनाथ उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, रवि उपाध्याय, राजेन्द्र उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, निलेश उपाध्याय, मणि उपाध्याय, अमन उपाध्याय, धुनधुन उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय, झुन्ना उपाध्याय, रवि उपाध्याय व पवन उपाध्याय आये और अपने हाथ में लिये हथियार से 40–50 राउण्ड फायरिंग किये और बकिया लोग भाला, तलवार से मारपीट किये। उक्त लोगों औरतों के साथ झोंटा नोचकर मारपीट किये, जिससे रूकमनिया देवी, मौली देवी, लायो देवी, किशनावती देवी, बचमुनिया देवी, आरती देवी, तेतरी देवी को दवा के लिए सदर अस्पताल, बक्सर भेजा गया। सूचक हृदय नारायण राम, रामजी राम, राजेश राम, मुखिया राम, प्रमोद राम का कपार फट गया। रामजी राम के पॉकेट से पॉच हजार रुपया शेषनाथ उपाध्याय ने निकाल लिया तथा दशरथ राम के गर्दन से लॉकेट अरविन्द उपाध्याय निकाल लिया। उक्त लोगों ने धमकी भी दिया कि पुलिस के पास जाओगे तो पेट्रोल जलाकर फूंक देंगे।

लगातार :–

लगातार :–
06.08.2021

प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, आवेदक और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध कथित घटना दिनांक 29.03.2021 को सूचक के मुहल्ले में नाजायज मजमा बनाकर हरबे हथियार से लैश होकर आने एवं मारपीट कर जख्मी करने तथा देशी कट्टा से फायर करने एवं रामजी राम के पॉकेट से पॉच हजार रुपया तथा दशरथ राम के गर्दन से लॉकेट ले लिये जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कण्डिका–11 व 12 में साक्षीगण राजकुमार राम एवं सुग्रीव राम ने होली के अवसर पर कीचड़ खेलने को लेकर पक्षों में विवाद होने एवं मारपीट की घटना होने की बात कहा है। वाद दैनिकी की कण्डिका–32, 33, 34, 35 व 36 में जख्मीगण हृदयनारायण राम, प्रमोद कुमार राम, राजेश राम, मुखिया राम एवं रामजी राम का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें उन्हें साधारण किस्म की ठोस पदार्थ से पहुँचाई गई चोटें पाये जाने का उल्लेख है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रस्तुत वाद का पलटा वाद 121/2021 आवेदक की ओर से भी इस मामले के सूचक एवं अन्य पर उसी घटना दिनांक व समय को लेकर पंजीकृत हुआ है, ऐसी स्थिति में वर्तमान स्तर पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कथित घटना का आक्रामक पक्ष कौन था। घटना के स्थान से कोई भी गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है। आवेदक दिनांक 03.08.2021 से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा उसका कथित अपराध में कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है, ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक को मो0 10,000/– रूपये के बंध पत्र एवं उतनी ही राशि के कुल दो प्रतिभू, यथोचित न्यायशुल्क के साथ, दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे एवं अकारण अग्रिम दो नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंध–पत्र स्वतः खण्डित समझा जायेगा।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी, एक्ट),
बक्सर

07.08.2021

आवेदक बुलंदू उपाध्याय के तरफ से मो0 10,000/– रूपये का बंध–पत्र विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरान्त स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय मुक्ति आदेश कारा भेजे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी, एक्ट),
बक्सर